

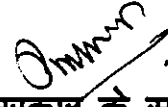
बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-6/निदे० (थरुहट विकास) 50-01/2025

प्रेस नोट

विषय:- पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत समेकित थरुहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि की व्यय की स्वीकृति।

थरुहट विकास क्षेत्र के तहत प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन से अनुसूचित जनजाति (थारु जनजाति सहित) के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के साथ-साथ थरुहट क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।


सरकार के सचिव

(3)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई है। संशोधन से बिहार राज्यान्तर्गत पत्थर भूखण्डों की ई-नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाता भाग ले सकेंगे, जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी।


10/07/2026

(अवनीश कुमार सिंह)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

4

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

प्रेस नोट

बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक-सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय रू० 19,800/- (उन्नीस हजार आठ सौ रुपये) से बढ़ाकर रू० 30,000/- (तीस हजार रुपये) करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है।


सचिव,
गृह विभाग, बिहार

5

बिहार सरकार गृह विभाग (कारा)।

प्रेस नोट

बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा/विपदा के कारण आकस्मिक मृत्यु तथा अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु के मामले में उक्त मृत बंदी के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन या विधिक उत्तराधिकारी को मुआवजा भुगतान की नीति बनाये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।


(कुन्दन कुमार)
सचिव, गृह विभाग।

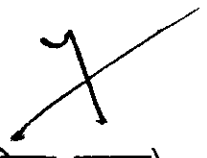
(6)

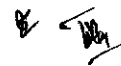
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) हाजीपुर सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रू० 232,90,04,631/- (दो सौ बत्तीस करोड़ नब्बे लाख चार हजार छह सौ इकतीस रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

हाजीपुर सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :- हाजीपुर सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना में 08 वार्डों के 1049 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 07 MLD का STP, 47.19 कि०मी० सिवरेज नेटवर्क, 03 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 4.250 कि०मी० राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे हाजीपुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क की सुविधा प्राप्त होगी।


(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



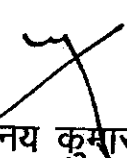
(7)

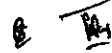
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 170,86,22,260/- (एक सौ सत्तर करोड़ छियासी लाख बाईस हजार दो सौ साठ रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

खगड़िया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- खगड़िया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 19,436 गृह जल संयोजन हेतु 38.56 MLD का Intake well, 38.5 MLD का WTP, 06 जलमीनार, 06 जलमीनार कैम्पस, 13.200 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 211.22 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे खगड़िया शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।


(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



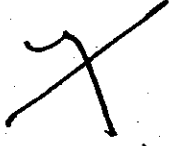
(8)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 197,12,79,592/- (एक सौ सत्तानवे करोड़ बारह लाख उनासी हजार पाँच सौ बानवे रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 18,599 गृह जल संयोजन, 33 Tubewell, 17 पम्प हाउस Chlorine Room सहित, 34 Iron Removal Plant, 12 जलमीनार, 2.10 कि०मी० Clear Water राइजिंग मेन एवं 502.45 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे सीतामढ़ी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।


(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

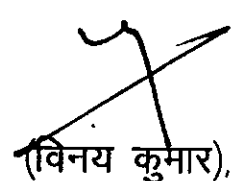


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 228,45,36,700/- (दो सौ अट्ठाइस करोड़ पैंतालीस लाख छत्तीस हजार सात सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 17,899 गृह जल संयोजन, 83.16 MLD के Intake Well का निर्माण, 80 MLD के WTP का निर्माण, 07 नए जलमीनार (1,572-2,900 KL क्षमता) का निर्माण, 900 मी०मी० व्यास का 875 मी० RAW Water राइजिंग मेन, 200-800 मी०मी० व्यास का 27.254 कि०मी० Clear Water राइजिंग मेन, 110-600 मी०मी० व्यास का 546.885 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क, SCADA प्रणाली एवं अन्य कार्य किया जायेगा, जिससे समस्तीपुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।


(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



प्रेस विज्ञप्ति

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत वाहनों के निबंधन हेतु मोटरवाहन कर अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। मोटरवाहन कर में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। पूर्व में परिवहन विभाग द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वैयक्तिक एवं व्यवसायिक मोटरवाहन कर की दर में संशोधन किये गये हैं, जिसकी लंबी अवधि व्यतीत होने के फलस्वरूप मोटरवाहन कर का पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त के संबंध में दो पहिया वाहन पर वर्तमान निर्धारित एक मुश्त मोटरवाहन कर में 1% की, एकमुश्त मोटरवाहन कर देने वाले तिपहिया वाहन पर वर्तमान निर्धारित मोटरवाहन कर में 1,000 रुपये की एवं वर्तमान निर्धारित व्यापार कर में 04 (चार) गुणा की बढ़ोत्तरी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारु संचालन एवं समुचित देख-रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु वर्ष 2008 में धर्मशाला निर्माण की योजना राशि 3,47,00,000/- (तीन करोड़ सैंतालिस लाख) रुपये मात्र की योजना स्वीकृत की गयी थी। योजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया गया है। योजना के अन्तर्गत G+1, भवन का निर्माण किया गया है। इसके तहत 6 कमरा, 2 अद्द डोरमेट्री, मल्टीपरपस हॉल, डाईनिंग हॉल, किचेन, स्टोर कक्ष, पैन्ट्री, मैनेजर रूम, जन-सुविधा एवं अन्य आदि कार्य किये गये हैं।

मंत्रिपरिषद् द्वारा कैमूर जिलान्तर्गत माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारु संचालन एवं समुचित देख-रेख हेतु माँ मुण्डेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति, कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने के लिए स्वीकृत वृहद् योजना के ससमय एवं सुचारु क्रियान्वयन तथा योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन संबंधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम— पुनौरा, जिला— सीतामढ़ी के विधिवत् निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किये गये ट्रस्ट डीड (Trust Deed) के अनुमोदन एवं पुनौराधाम के विकास हेतु अर्जित की गयी 50.8925 एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विभागीय पत्रांक— 636 दिनांक— 12.03.1991 की कड़िका—ख को शिथिल करते हुए उक्त न्यास समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

सीतामढ़ी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या की तर्ज पर रामायण सर्किट के रूप में विकसित किये जाने हेतु कुल 942.38 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के नियमित अनुश्रवण एवं ससमय क्रियान्वयन तथा निर्मित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति, ग्राम— पुनौरा, जिला— सीतामढ़ी के द्वारा किये जाने हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि विधि विभाग की अधिसूचना सं० — 3792 दिनांक— 23.06.2025 के माध्यम से अधिसूचित न्यास समिति का निबंधन करा लिया जाए। साथ ही पर्यटकीय विकास हेतु अधिग्रहित भूमि न्यास समिति को हस्तांतरित कर दिया जाये।

उक्त न्यास समिति के विधिवत् निबंधन तथा अधिग्रहित भूमि उक्त न्यास समिति को हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप पुनौराधाम मंदिर परिक्षेत्र का विकास एवं प्रबंधन कार्य प्रभावी और सुचारु रूप से किया जा सकेगा। इसके आलोक में उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
06/07/2025

(13)

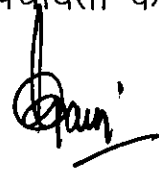
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

ग्राम पंचायतों के अपने संसाधन विकसित हो सकें, और राज्य सरकार पर उनकी निर्भरता कमतर हो, इस उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-27 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न प्रकार के कर, दर एवं शुल्क लगाने से संबंधी प्रावधान किये गये हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में इस संबंध में अबतक कोई नियमावली नहीं बनाई जा सकी है, न ही किसी राज्यादेश द्वारा कर, दर एवं शुल्क अधिरोपित करने के अधिकार पंचायतों को सौंपे गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क को चिन्हित कर उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये तथा कर/शुल्क के अधिरोपण, दर निर्धारण और संग्रहण हेतु प्रक्रिया विहित की जाय ताकि पंचायतों को कर/शुल्क की वसूली करने में सहूलियत हो। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली, 2026 के प्रारूप का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग के दखलकार पर कर, पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पेशा/व्यापार/उद्योग पर शुल्क, पंचायत द्वारा दी गई सेवाओं के विरुद्ध शुल्क एवं पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अन्य शुल्क से संबंधित प्रावधान शामिल किये गये हैं।

ग्राम पंचायतें उक्त अधिकतम दर के अधीन रहते हुए कर/शुल्क विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिरोपित कर सकेंगी, जिससे ग्राम पंचायतों की स्वयं के आय (OSR) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।



(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

(1A)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन-यापन हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में 100 बेड (50-50 की दो युनिट) तथा सभी जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य अनुमण्डलों में 50 बेड (एक युनिट) अर्थात् कुल 6,950 आवासन क्षमता वाले (139 युनिट) आश्रय स्थल वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित है।

समाज कल्याण विभाग के कार्य क्षेत्र को देखते हुए एवं 'मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना' का बेहतर तरीके संचालन किये जाने के दृष्टिगत वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना को इस योजना के साथ समाहित करते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

१७/७/२६
(एच० आर० श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-2224 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें राज्य में AI से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्रों Centre of Excellence (CoE) की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं०-ET/40/2024-ET दिनांक 25.03.2025 के साथ संलग्न AI Centre of Excellence के अधिष्ठापन से संबंधित Concept Note में यह उल्लेखित है कि प्रभावी और चुस्त शासन सुनिश्चित करने के लिए, AI-CoE को 'धारा-8' कंपनियों के रूप में स्थापित किया गया।

2. उक्त के आलोक में बिहार स्टेट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :-

- बिहार राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence & AI) के सेंटर ऑफ एक्सलेंस (AI-CoEs) की स्थापना, विकास, संचालन एवं संवर्धन करना।
- हाई परफॉरमेंस कम्प्यूटिंग सुविधाओं, क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटा रिपॉजिटरी एवं एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म सहित एआई पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विकास एवं प्रबंधन करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप्स एवं नवाचार को प्रोत्साहित, संवर्धित, समर्थित एवं तीव्र गति प्रदान करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं संबद्ध क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन, शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, हैकथॉन आदि का आयोजन करना,
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में एआई आधारित समाधानों का अभिकल्पन, विकास, कार्यान्वयन एवं प्रसार करना।


(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

16

बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में।

पर्यटन विभाग द्वारा "बिहार पर्यटन नीति, 2023" एवं "मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना- 2026", जैसे अनेक नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों का कार्यान्वयन किया गया है तथा अन्य संबंधित नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। पर्यटन विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर इन नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 का गठन किया गया है।

उक्त प्रस्तावित नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग की संरचना एवं प्रास्थिती निम्नवत् है:-

क्र०	पदनाम	पदसोपान	प्रास्थिती
1.	सहायक पर्यटन पदाधिकारी	मूल कोटि का पद	अराजपत्रित
2.	पर्यटन पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
3.	सहायक निदेशक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4.	उप निदेशक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

15/7/2026

प्रेस नोट

राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत “बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)” का गठन के संबंध में।

देश में पर्यटन गंतव्यों तक सुगमतापूर्वक पहुँच हेतु सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन के रूप में एरियल रोपवे फ्यूनिक्युलर रेलवे, केबल कार, चेयरलिफ्ट, स्की-लिफ्ट, मोनोरेल तथा अन्य इससे संबंधित परिवहन प्रणालियों पर अभिकल्पन तथा योजना निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह दुर्लभ पहाड़ी इलाकों अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले शहरों और पर्यटन स्थलों के लिये सबसे उपयोगी और टिकाऊ परिवहन माध्यम माना जाता है। उक्त के निर्माण कार्य में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बिहार में दो पर्यटन स्थलों यथा विश्वशांति स्तूप, राजगीर एवं मंदार पर्वत बाँका पर रोपवे निर्माण करते हुए इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है तथा छः नये पर्यटन स्थलों पर रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी उपयोगिता एवं महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई अन्य योजनाओं के सूत्रण के संबंध में भी विचार किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनावद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत “बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड (Bihar State Ropeways Company Limited)” का गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

18

बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 के स्वीकृति के संबंध में।

पर्यटन विभाग द्वारा "बिहार पर्यटन नीति, 2023" एवं "मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना- 2026", जैसे अनेक नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों का कार्यान्वयन किया गया है तथा अन्य संबंधित नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। पर्यटन विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर इन नियमावलियों/ योजनाओं/ नीतियों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 का गठन किया गया है।

उक्त प्रस्तावित नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग की संरचना एवं प्रास्थिती निम्नवत् है:-

क्र०	पदनाम	पदसोपान	प्रास्थिती
1.	पर्यटन सहायक ग्रेड-2	मूल कोटि का पद	अराजपत्रित
2.	पर्यटन सहायक ग्रेड-1	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

14/3/2024

(19)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

विषय:— उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त नीति के लागू होने से निम्न लाभ प्राप्त होंगे:—

पर्यावरणीय लाभ

- नदियों एवं भूजल स्रोतों से ताजे जल के दोहन में कमी।
- जल निकायों में प्रदूषण भार में कमी।
- तालाबों, आर्द्रभूमियों एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का पुनरोद्धार।

आर्थिक लाभ

- उद्योगों एवं नगर निकायों के लिए कच्चे जल की लागत में कमी।
- ULBs एवं संबंधित प्राधिकरणों के लिए TUV बिक्री से अतिरिक्त राजस्व।
- जल संचालन और वितरण से जुड़े "ग्रीन रोजगार" के अवसर।

सामाजिक लाभ

- प्रदूषण में कमी से जन स्वास्थ्य में सुधार।
- जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित गैर पीने योग्य जल की उपलब्धता।
- नागरिकों की सतत जल प्रबंधन में बढ़ी हुई भागीदारी।

(विनय कुमार),

सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेस नोट

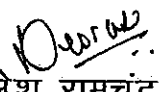
स्वीकृत्यादेश संख्या-40, दिनांक-19.01.2026 को निरस्त करते हुए भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित 1425.1148 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹5,56,11,85,728/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार सात सौ अठाईस रुपये) मात्र तथा मुंगेर जिला में 1720.1160 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹7,73,46,84,361/- (सात सौ तिहत्तर करोड़ छियालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ इकसठ रुपये) मात्र अर्थात् कुल 3145.2308 एकड़ भूमि के विरुद्ध कुल अनुमानित मुआवजा राशि ₹13,29,58,70,089/- (तेरह सौ उनतीस करोड़ अठान्न लाख सत्तर हजार नवासी रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संशोधित भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव के अंतर्गत कुल अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में से लगभग 1025 एकड़ भूमि एयरसाइड डेवलपमेंट एवं प्रस्तावित ऐरोसिटी के विकास हेतु चिन्हित की गई है। इस ऐरोसिटी में विमानन आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग, होटल, कन्वेंशन सेंटर, वाणिज्यिक एवं आवासीय परिसर, एमआरओ (Maintenance, Repair & Overhaul) सुविधाएँ, कौशल विकास संस्थान तथा अन्य सहायक अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। इससे हवाई अड्डा केवल यात्री परिवहन का केंद्र न होकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण एवं रोजगार सृजन का एक प्रमुख ग्रांथ इंजन बनेगा।

अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यह परियोजना अजगैबीनाथ धाम को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क से जोड़ेते हुए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवजाही को सुलभ बनाएगी। साथ ही, भागलपुर, मुंगेर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार, उद्योग तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

हवाई अड्डे के निर्माण एवं संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा भागलपुर के प्रसिद्ध रेशम, कृषि एवं अन्य स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन एवं चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं में भी त्वरित सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

यह परियोजना बिहार में आधुनिक विमानन अवसंरचना के विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी।


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

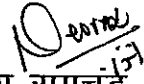
(21)

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राजगीर तथा रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) हेतु दोनों पक्षों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। इससे आवश्यक तकनीकी एवं भौगोलिक सूचनाओं का समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा तथा अध्ययन प्रक्रिया में समन्वय एवं पारदर्शिता आएगी। साथ ही हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से होगा। हवाई अड्डा का निर्माण होने से राज्य एवं स्थानीय निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

(22)

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

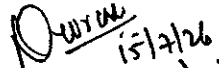
बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु ऐयरो क्लब ऑफ इण्डिया से मल्टी इंजन Beechcraft Baron G58 विमान की सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 इ (त) के परिशिष्ट-16 की कंडिका- 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं प्रतिमाह ₹6,50,000/- (छः लाख पचास हजार रुपये) की दर से कुल वार्षिक व्यय ₹78,00,000/- (अठहत्तर लाख रुपये) मात्र की दर पर अधिप्राप्ति के निमित्त प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमान अवसंरचना के विकास हेतु ऐयरो क्लब ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के आलोक में बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु ऐयरो क्लब ऑफ इण्डिया से पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण विमान Cessna 172 R Glass Cockpit के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर ही मल्टी इंजन Beechcraft Baron G58 विमान की सेवा प्राप्त की जानी है। विमान की सेवा प्राप्ति हेतु ऐयरो क्लब ऑफ इण्डिया के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रारंभिक रूप से 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

सिविल विमानन विभाग, बिहार सरकार एवं ऐयरो क्लब ऑफ इण्डिया से Beechcraft Baron G58 विमान की अधिप्राप्ति से प्रशिक्षुओं के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं क्योंकि अधिकांश वाणिज्यिक विमानन कंपनियाँ मल्टी इंजन रेटिंग वाले पायलटों को प्राथमिकता देती हैं।

संस्थान में Multi Engine प्रशिक्षण विमान के उपलब्ध रहने पर प्रशिक्षुओं को बाहर के संस्थानों में इसके प्रशिक्षण हेतु नहीं जाना पड़ेगा तथा उन्हें राज्य में ही अनुदानित शुल्क पर प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

मल्टी इंजन प्रशिक्षण विमान उपलब्ध होने से संस्थान व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी।


(डॉ० निलेश रामचन्द्र देवरे)
सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

23

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत विधि-व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थान आदि से आने-जाने के क्रम में लड़की/महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 अदद स्कूटी एवं पुलिस कर्मियों के लिए 3200 अदद मोटरसाईकिल को आंशिक संशोधन करते हुए 1500 अदद स्कूटी के स्थान पर 1500 अदद स्कूटर का क्रय एवं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के तहत 1500 अदद स्कूटर में से 1000 अदद पेट्रोल एवं 500 अदद इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रय की स्वीकृति के संबंध में।

[Signature]
15.7.2026

(कमल नयन)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस-नोट

94

श्री रामाकान्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (सेवानिवृत्ति की तिथि-30.06.2024) की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक-01.07.2026 से 30.06.2027 (01 वर्ष) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

(अनिल चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) 'उन्नत शिक्षा- उज्ज्वल भविष्य' के अन्तर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में चयन एवं संचालन किया जायेगा।

आदर्श विद्यालय का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार-आधारित शिक्षा प्रदान करना है, ताकि राज्य में एक ऐसा सार्वजनिक विद्यालय विकसित किया जा सके, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का मानक राज्य के साथ-साथ देश में स्थापित कर सके।

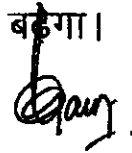
बेहतर शिक्षण हेतु क्रियाशील विज्ञान प्रयोगशाला, क्रियाशील ICT लैब, क्रियाशील पुस्तकालय, डिजिटल स्क्रीन सहित स्मार्ट कक्षा, कोचिंग की व्यवस्था, साप्ताहिक परीक्षण द्वारा प्रगति की सतत निगरानी, इच्छुक/जरूरतमंद छात्रों के लिए रिमेडियल कक्षाएँ आदि की व्यवस्था की जायेगी।


(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
प्रेस नोट

(31)

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद् प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर गठन/परिसीमन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ता, विकास की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व एवं जनसुविधाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही ग्राम पंचायतों में भौगोलिक एवं सामाजिक एकरूपता तथा सभी क्षेत्रों का समान रूप से उन्नयन एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन/परिसीमन होने से प्रशासनिक दक्षता, स्थानीय प्रतिनिधित्व एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बड़ेगा।



(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव